संख्याः2630/33–3–2019–एल.सी./2019

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 07 फरवरी, 2020

विषयः राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में प्राथमिकता निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2630/33–3–2019–एल0सी0/2019 दिनांक–18.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष–2020–21 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कार्ययोजना की प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है। अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2019 में कुछ ऐसे बिन्दु अंकित हो गये है, जिनका उल्लेख चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14वें वित्त आयोग की मार्ग–निर्देशिका में नहीं है, जैसे व्यक्तिगत शौचालय आदि।

2– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक–18.12.2019 द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं मे से उन्ही कार्यो को ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए, जिनका प्रावधान राज्य वित्त एवं 14वें वित्त आयोग की मार्ग–निर्देशिका में किया गया है।

3– कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगीं।

भवदीय

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

Amit Sri.